रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 15 जनवरी, 1996/25 पौष, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 15 जनवरी, 1996

संख्या 1-9/96-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 5) जो दिनांक 15 जनवरी, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान

सभा मे पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

1996 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) का और संशोधन करने और राज्य में अधिकार अभिलेख बनाने या उनको विशेष रूप से पुनरावृत्त करने के सम्बन्ध में की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1996 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय धारा 2 (ख), धारा 5, धारा 6 और धारा 10 के, जो 23 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

धारा 4 का संशोधन।

1954 का 6

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में --

(क) खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) "बाकीदार" का तात्पर्य भू-राजस्व के बकाया या उसके बदले में किसी कर के लिए दायी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है--

(i) वह व्यक्ति जो प्रतिभू के रूप में बकाया के संदाय के लिए दायी है; और

(ii) नम्बरदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसने भू-राजस्व या उसके बदले में कोई कर संगृहीत किया है किन्तु इसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया है ;";

(ख) खण्ड (5) के उप-खण्ड (ग) में, "राज्यशासन" शब्द के पश्चात् "या धारा 33 के अधीन अभिलेख-अधिकार बनाने या विशेष रूप से पुनरावृत्त करने वाले कलेक्टर" शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ग) खण्ड (17) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (18) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"(18) "उप-सम्पदा" से तात्पर्य है किसी सम्पदा का उप-खण्ड चाहे उसे किसी भी नाम जैसे तरफ, पत्ती, उप-मोहाल, पन्ना, थोक, थुला से पुकारा जाए और वह उस सम्पदा का भाग होगा ;"।

धारा 16 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,--

(क) उप-धारा (1) में, "माल अधिकारी" शब्दों से पहले "जहां अभिलेख को देखने से ही कोई गलती या त्रुटि प्रकट है या जहां कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य पाए जाते हैं, वहां" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) सिवाय किसी आकस्मिक भूल या विलोप से उत्पन्न होने वाली लेखन या गणित सम्बन्धी भूल की दशा के, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन फाईनेन्शियल कमिश्नर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।"।

धारा 32 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 32 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा (2-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(2-क) उप-सम्पदा के अधिकार-अभिलेखों के अन्तर्गत इस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में वर्णित प्रलेख होंगे।"।

धारा 33-क का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 33-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"33-क. **माप की इकाईयों का मीटरी पद्धति पर आधारित होना।**—यदि किसी भूमि के अधिकार अभिलेख के माप अमीटरी पद्धति में अभिलिखित हैं तो, इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन अधिकार-अभिलेख बनाने या अधिकार-अभिलेख की विशेष रूप से पुनरावृत्ति के दौरान, सम्पदा या उप-सम्पदा का पूर्ण पुनर्मापन, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार, मीटरी पद्धति की इकाइयों के आधार पर किया जाएगा।"। 1976 का 60

धारा 34-क का अन्तःस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 34-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"34-क. **किसी सम्पदा का उप-खण्ड।**—जहां कहीं भी लोकहित में और इस अधिनियम के उपबन्धों के अबाध कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना समीचीन है, वहां कलेक्टर, राज्यशासन या फाईनेन्शियल कमिश्नर के अनुमोदन से सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के पश्चात्, इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन अधिकार अभिलेख बनाने या अधिकार अभिलेख को विशेष रूप से पुनरावृत्त करने, अध्याय 5 के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण और अध्याय 6 के अधीन भू-राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी सम्पदा को एक या अधिक सम्पदाओं या उप-सम्पदाओं में विभाजित अथवा दो या अधिक सम्पदाओं को एक सम्पदा में विलीन कर सकेगा :

परन्तु उप-सम्पदा उस मूल सम्पदा का भाग रहेगी जिसमें से इसे बनाया गया है और ऐसा उप-सम्पदा या सम्पदा का सृजन उस सम्पदा में अधिकारधारकों के अधिकारों को निर्वापित या संपरिवर्तित नहीं करेगा।"।

धारा 36 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 36 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु राज्यशासन या किसी माल अधिकारी, जो कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, के आदेश के अधीन के सिवाय, पटवारी द्वारा, खण्ड (क) के अधीन सरकारी भूमि के बारे में कोई प्रविष्टि अभिलिखित नहीं की जाएगी।"।

धारा 38 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 38 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (क क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

(क क) राज्यशासन या किसी माल अधिकारी, जो कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किए गए आदेश के अनुसार सरकारी भूमि के बारे में प्रविष्टियां करना; "।

धारा 38-क का अन्तः-स्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"38-क. **लेखन भूलों का सुधार**.—इस अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में वर्णित किसी अधिकार-अभिलेख या प्रलेखों को बनाने या उनकी विशेष रूप से पुनरावृत्ति के दौरान किसी सम्पदा या उप-सम्पदा के अधिकार अभिलेख में आकस्मिक भूल या विलोप से उत्पन्न होने वाली पाई गई लेखन या गणित सम्बन्धी गलती अथवा त्रुटि जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट है, अभिलेख बनाने वाले या उसकी विशेष रूप से पुनरावृत्ति करने वाले कलेक्टर द्वारा किसी भी समय, स्वतः या किन्हीं पक्षकारों के आवेदन पर, सुधारी जा सकेगी।"।

धारा 47-क का अन्तः-स्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"47-क. **अनुदेश जारी करने की कलेक्टर की शक्ति**.—अधिकार-अभिलेख बनाने या अधिकार-अभिलेख की विशेष रूप से पुनरावृत्ति करने वाला कलेक्टर, फाईनेन्शियल कमिश्नर के अनुमोदन से, माल अधिकारियों/पदधारियों के मार्गदर्शन के लिए, उन सभी विषयों से सम्बन्धित निदेश या अनुदेश जारी कर सकेगा जिनको अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध लागू होते हैं; परन्तु ऐसे निदेश या अनुदेश इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से संगत होंगे।"।

धारा 117 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 117 की उप-धारा (2) में, शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पचास" रखा जाएगा ।

धारा 171 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) में,—

(क) खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(5-क) इस अधिनियम की धारा 33-क के अधीन सम्पदा या उप-सम्पदा के पूर्ण पुनर्मापन के बारे में आदेश; " ;

(ख) खण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(6-क) इस अधिनियम की धारा 38-क के अधीन लेखन गलती में सुधार;"; और

(ग) खण्ड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (12-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(12-क) इस अधिनियम की धारा 34-क के अधीन, सम्पदा का उप-खण्ड बनाना या उप-सम्पदाओं अथवा सम्पदा आदि का विलयन;"।

विधिमान्य-करण।

13. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 और तद्धीन बनाए गए नियमों, जारी अनुदेशों या अधिसूचनाओं अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, 23 सितम्बर, 1976 के पश्चात् और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1996 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित भूमि के बारे में यदि अधिकार-अभिलेख बनाए गए हैं, या अधिकार-अभिलेख को विशेष रूप से पुनरावृत्त किया गया है तो अधिकार-अभिलेखों का ऐसा बनाया जाना या उसका विशेष रूप से पुनरावृत्ति सदैव विधिमान्य समझी जाएगी और इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि इस अधिनियम की धारा 2 (ख), धारा 5, धारा 6 और धारा 10 द्वारा किए गए संशोधन उस समय प्रवृत्त नहीं थे जब ऐसे अधिकार-अभिलेख बनाए गए थे या विशेषतः पुनरावृत्त किए गए थे। 1954 का 6

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आंशिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि के कारण धृत्तियों की संख्या में बढ़ौत्तरी और आंशिक रूप से कृषि सुधारों के अधीन भू-धृत्तियों के आकारों में कमी के कारण, प्रत्येक राजस्व सम्पदा में भू-अभिलेखों की मात्रा में काफी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है । प्रत्येक राजस्व सम्पदा में रखे गए भू-अभिलेखों की मात्रा को नियन्त्रणीय आकार में लाने के लिए अधिक सम्पदाएं या उप-सम्पदाएं सृजित करना आवश्यक हो गया है । इसके अलावा, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की अधिनियमिति के साथ, अमीटरी मापों को मीटरी मापों में संपरिवर्तित करना अब आज्ञापक है । राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित मापों के भिन्न-भिन्न मापमानों के कारण, मीटरी पद्धति में संपरिवर्तन से, राज्य में सभी राजस्व सम्पदाओं का पुनर्मापन अन्तर्वलित है । कलेक्टरों द्वारा सम्पदाओं/उप-सम्पदाओं के सृजन के लिए या सम्पदाओं के पूर्ण पुनर्मापन के लिए, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 अथवा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू पंजाब सैटिलमैन्ट मैनुअल में, कोई उपबन्ध नहीं है। इन कानूनी उपबन्धों के अभाव में बन्दोबस्त संक्रिया के दौरान और अधिक सम्पदाओं का सृजन या सम्पदाओं के उप-खण्ड करने और मीटरी मापों में संपरिवर्त्तन करने के लिए सम्पदाओं का पूर्ण पुनर्मापन तथा कलेक्टरों द्वारा दिए गए अनुदेश/निदेश, विधि के अनुसार नहीं माने जा सकते । परिणाम-स्वरूप, राज्य के विभिन्न भागों में पहले कार्यान्वित बन्दोबस्त संक्रियाओं के निष्फल होने की सम्भावना है और पुनः बन्दोबस्त संक्रियाओं से जनता को अधिक असुविधा तथा राजकोष को हानि होने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, बदली हुई परिस्थितियों में कुछ अन्य लघु संशोधन करने आवश्यक हैं । अधिकार-अभिलेखों की विशेष पुनरावृत्ति के दौरान उस द्वारा सम्पदाओं के सृजन/सम्पदाओं के विभाजन, मीटरी पद्धति पर आधारित सभी सम्पदाओं के पूर्ण पुनर्मापन, बन्दोबस्त संक्रिया के कार्यान्वयन के लिए दिए गए निदेशों/जारी किए गए अनुदेशों और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पहले की गई कलेक्टर की कार्रवाई को भी विधिमान्य करना आवश्यक है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

ठाकुर गुलाब सिंह,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला:
15 जनवरी, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को, अधिनियमित किए जाने पर, विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इस विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर राज्य कोष से कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 10, अधिकार अभिलेख बनाने या अधिकार अभिलेख की विशेष रूप से पुनरावृत्ति करने वाले कलेक्टर को, निदेश देने या अनुदेश जारी करने के लिए, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, सशक्त करता है । यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है ।

Bill No. 5 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1996

(AS INTROCDUED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (*Act No.* 6 *of* 1954) *and to validate certain actions taken in relation to the making or special revision of record-of-rights in the State.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 1996.

(2) It shall come into force at once except sections 2 (*b*), 5, 6 and 10 which shall be deemed to have come into force on the 23rd day of September, 1976.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter called the principal Act)— 6 of 1954

(*a*) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—

"(4) "defaulter" means a person liable for an arrear of land revenue or any tax in lieu thereof and also includes—

(*i*) a person who is liable as surety for the payment of arrear ; and

(*ii*) a Numbardar or any other person who has collected the land revenue or any tax in lieu thereof but has not deposited the same into the Government treasury;";

(*b*) in clause (5), in sub-clause (*c*), after the words "State Government", the words "or the Collector making or specially revising the record-of-rights under section 33" shall be added ; and

(*c*) after clause (17), the following clause (18) shall be added, namely:—

"(18) "sub-estate" means a sub-division of an estate by whatever name called like a taraf, patti, up-mohal, pana, thok, thula and shall form the part of that estate;".

Amendment of section 16.

3. In section 16 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), for article and words "A Revenue Officer", the words "Where there is a mistake or error apparent on the

face of record or where some new and important fact or evidence is discovered, a Revenue Officer" shall be substituted ; and

(*b*) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:—

"(4) Save in the cases of clerical or arithmetical mistakes arising from any accidental slip or omission, no application for review shall lie under this section against an order passed by the Financial Commissioner under section 17 of this Act.".

Amendment of section 32.

4. In section 32 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section (2A) shall be added, namely:—

"(2A) The record-of-rights for sub-estate shall include the documents mentioned in clauses (*a*), (*c*) and (*d*) of sub-section (2) of this section.".

Insertion of section 33 A.

5. After section 33 of the principal Act, the following section 33-A shall be inserted, namely:—

"33-A. *Units of measure to be based on metric system.*—In case the measurements of any land in the record-of-rights are recorded in non-metric system, there shall, during making record-of-rights or special revision of record-of-rights under section 33 of this Act, be a complete remeasurement of the estate or sub-estate based on the units of metric system in accordance with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976.".

60 of 1976

Insertion of section 34-A

6. After section 34 of the principal Act, the following section 34-A shall be inserted, namely:—

"34-A. *Sub-division of an estate etc.*—Wherever it is expedient to do so in the public interest and smooth implementation of the provisions of this Act, the State Government or the Collector, with the approval of the Financial Commissioner, may, after inviting the public objections, divide an estate into two or more sub-estates or merge two or more estates or sub-estates into one estate, for making record-of-rights or special revision of record-of-rights under section 33. assessment of land revenue under chapter-V and collection of land revenue under chapter VI of this Act :

Provided that a sub-estate shall form the part of the original estate out of which it has been formed and the creation of such estate or sub-estate shall not extinguish or modify the rights of right-holders of that estate. ".

Amendment of section 36.

7. In section 36 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no entry in respect of the Government land shall be recorded under clause (*a*) by the patwari except under the orders of the State Government or of a Revenue Officer not below the rank of the Collector.".

Amendment of section 38.

8. In section 38 of the principal Act, after clause (*a*), the following clause (*aa*) shall be added, namely:—

"(*aa*) making entries in respect of Government land in accordance with the order made by the State Government or by a Revenue Officer not below the rank of the Collector;".

Insertion of section 38-A.

9. After section 38 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**38-A.** *Correction of clerical errors.*—Clerical or arithmetic mistake or an error apparent on the face of the record, arising from any accidental slip or omission, found in the record-of-rights of an estate or sub-estate during the making of, or special revision of, any record-of-rights or documents mentioned in sub-section (2) of section 32 of this Act, may, either of his own motion or on the application of any of the parties, be corrected by the Collector, making, or specially revising, the record-of-rights.".

Insertion of section 47-A.

10. After section 47 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**47-A.** *Power of the Collector to issue instructions.*—The Collector making record-of-rights or making special revision of record-of-rights, with the approval of the Financial Commissioner, may, for the guidance of the Revenue Officers/Officials, give directions or issue instructions relating to all matters to which the provisions of the chapters IV and V apply ; provided that such a direction or instruction shall be consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder.".

Amendment of section 117.

11. In section 117 of the principal Act, in sub-section (2), for the word "ten", the word "fifty" shall be substituted.

Amendment of section 171.

12. In section 171 of the principal Act, in sub-section (2),—

(*a*) after clause (*v*), the following clause shall be added, namely:—

"(*v-a*) order regarding complete remeasurement of an estate or sub-estate under section 33-A of this Act;";

(*b*) after clause (*vi*), the following clause shall be added, namely:—

"(*vi-a*) correction of clerical errors under section 38-A of this Act;"; and

(*c*) after clause (*xii*), the following shall be added, namely:—

"(*xii-a*) formation of sub-division of an estate or merger of sub-estates or estates etc. under section 34-A of this Act; ".

Validation.

13. Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 and rules, instructions, notifications made or issued thereunder, or in any law for the time being in force or in any judgment, decree or order of any court or other authority, where at any time after the 6

23rd day of September, 1976 and before the commencement of the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 1996, if any record-of-rights or special revision of record-of-rights has been made in respect of the lands situated in the State of Himachal Pradesh, such making or special revision of record-of-rights shall, and shall be deemed always to have been valid and shall not be questioned on the ground that the amendments made *vide* sections 2 (*b*), 5, 6 and 10 of this Act were not in force at that time when such record-of-rights were made or specially revised.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The volume of land records in each revenue estate has considerably increased due to the increase in number of holdings partially on account of increase in population and partially on account of decrease of extent of land holdings under the agrarian reforms, to bring the volume of the land records maintained in each revenue estate within manageable size, it has become essential to create more estates or sub-estates. Apart from this, with the enactment of the Standards of Weights and Measures Act, 1976, it is now mandatory to convert the non-metric measurements into metric measurements. Due to different scales of measurements prevalent in various parts of the State, the conversion to metric system involves the complete remeasurements of all the revenue estates in the State. There is no provision either in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 or in the Punjab Settlement Manual, as applicable to Himachal Pradesh, for the creation of estates/sub-estates by the Collectors or for the complete remeasurements of the estates. In the absence of these statutory provisions for the creation of more estates or subdivisions of estates and the complete remeasurement of the estates for convertion into metric measurements and the instructions/directions given by the Collectors, during the settlement operations are not sustainable in the eyes of law. Consequently the settlement operations already carried out in various parts of the State are likely to become infructuous and resettlement operations are likely to cause great public inconvenience and loss to the State Exchequer. Besides this certain other minor amendments in the Act are essential in the changed circumstances. It is also essential to validate the action of the Collector already taken by him during the special revision of record-of-rights in relation to the creation of estates/sub-division of estates, complete remeasurement of all estates based upon metric system, giving directions/issuing instructions to carry out the settlement operations and for the effective implementation of the provisions of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

THAKUR GULAB SINGH,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The 15th January, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in the Bill, when enacted, will be implemented through the existing Government machinery and thus, for the implementation of the provisions of the Bill, no additional expenditure will be incurred out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 10 of the Bill empowers the Collector for making record-of-rights or making special revision of record-of-rights to give directions or to issue instructions which are not in consistent with the provisions of the Act and rules made thereunder. This delegation is essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।